न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री बी.एल.कोठारी
आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुर मुख्य शाखा, टाउन हॉल के सामने, जिला-उदयपुर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी		मैसर्स स्टोन एज इण्ड्स्ट्रीज पता- 47, नवरत्न कॉम्पलेक्स, बेदला रोड़, जिला-उदयपुर(राज.) (ऋणी) एवं मैसर्स स्टोन एज इण्ड्स्ट्रीज पता- एफ 209, रीको इण्ड्स्ट्रीयल एरिया, फेज III, जिला-जालौर (राज.) श्री योगेश चौधरी पता- 163, प्रथम मंजिल, नवरत्न कॉम्पलेक्स, बेदला रोड़, जिला-उदयपुर (राज.) (प्रोपराईटर) (अ)श्रीमती श्वेता चौधरी पत्नि श्री योगेश चौधरी पता- 47, नवरत्न कॉम्पलेक्स, बेदला रोड़, जिला-उदयपुर (राज) एवं 163, प्रथम मंजिल, नवरत्न कॉम्पलेक्स, बेदला रोड़, जिला-उदयपुर (राज.) (जमानतदार) (ब)श्रीमती रमाकान्ता देवी चौधरी पत्नि श्री बलबीर सिंह चौधरी पता- 101, खारोल कॉलोनी, जिला- उदयपुर (राज) एवं प्लोट नं. 5 एवं 6, राजस्व गॉव भुवाणा, जिला-उदयपुर (राज) (जमानतदार)

विविध प्रकरण संख्या 12/2018

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

.....

अधिवक्ता:-
1-श्री मुमताज अली अधिवक्ता प्रार्थी

-:आदेश :-

दिनांक:-11.4.2018

1- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

2- प्रार्थी के वकील ने कथन किया कि ''बैंक ऑफ बड़ौदा'' शाखा उदयपुर मुख्य शाखा, टाउन हॉल के सामने, जिला-उदयपुर (राज.) में स्थित व कार्यरत है। वादी गृह वित्तीय संस्था बैंक की अपनी एक शाखा कार्यालय उदयपुर में स्थित है। जिसको शाश्वस्त अधिकार व सामान्य मुद्रा के अंतर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। वादी वित्तीय संस्था बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री ओ. पी. त्रिपाठी है। वह रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों से भी परिचित है। वह उनको प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा कार्यालय की ओर से साक्ष्य देने व प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर व सत्यापन करने का अधिकार है। इन्हे प्रार्थनापत्र के निपटारे तक समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने वित्तीय संस्था से दिनांक 24.06.2015 को 200.00लाख रू. का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पास रहन किया। जिसका विवरण नीचे वर्णित है।बंधक सम्पत्ति का विवरण:-फर्म के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक भूमि एवं भवन ऋण लेने वाले फर्म के कार्यालयों सहित जो प्लॉट नं.

एफ-209 रीको तृतीय फेज, जालौर, राजस्थान पर स्थित है,जिसका क्षैत्रफल 2000 वर्ग मीटर है। चर्तु सीमाए:-उत्तर-रोड एवं प्रवेश,दक्षिण-औद्यौगिक प्लाट नंबर जी 228, पूर्व- औद्यौगिक प्लाट नंबर एफ-210,पश्चिम में रीको लि. की भूमि ।

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 30.06.2017 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 30.06.2017 को बकाया राशि 1,94,95,851.95 रू. अक्षरे एक करोड़ चौरानवे लाख पच्चानवे हजार आठ सौ इक्यावन एवं पच्चानवे पैसा मात्र तक शेष देय है व दिनांक 30.06.2017 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 13.07.2017 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी पुनः देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा को नही दिया।अप्रार्थीगण ने देय ऋण राशि का भुगतान मांग के भी प्रार्थी बैंक आफ बडौदा को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैंक आफ बडौदा उक्त वर्णित सिक्योरिटी रहन शुदा संपति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त देय शेष राशि को वसूल करने व विक्रय का उक्त देय राशि वसूल करने के अधिकारी है।दिनांक 16 अगस्त 2016 को भारत का राजपत्र असाधारण भाग ii खण्ड-1-संख्या 51 के तहत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 मे संशोधन किये गये है। उक्त संशोधित एक्ट की धारा सेक्शन-12 जो निम्न प्रकार से है:-**Sec. 12-** in the principal Act, in section 14 in-sub-section (1)

(i) In the second proviso, after the words secred assets, the words within a period of thirty days from the date of application shall be inserted.

(ii) After the second proviso, the following proviso Shall be inserted namely-Provided further that if no order is passed by the chif metropolitan Magistrate or District magistrate within the period of thirty days for the same, pass the order within such futher period but not exceeding in aggregate sixty days.

इस संशोधन के पश्चात इस प्रार्थना पत्र पर अविलम्ब कार्यवाही की अपेक्षा है। अत: उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति जिसका विवरण प्रार्थना पत्र में दिया गया है, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावे।

3- पत्रावली का अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से रूपये दो करोड का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये ऑडिनेन्स की धारा 13(2) के तहत् 13.07.2017 को समस्त प्रतिवादियो को मांग नोटिस दिया कि नोटिस के 60 दिनो में रूपये 1,94,95,851.95/-अक्षरे एक करोड चौरानवे लाख पनचानवे हजार आठ सौ इकावन रूपये पिचानवे पैसे मात्र) जिसमें दिनांक 30.06.2017 तक का ब्याज सम्मिलित हैं। प्रतिवादियो ने उक्त धारा 13(2) के नोटिस को प्राप्त करने के बावजुद बैंक की बकाया राशि के अदा करने में चुक की है, का नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:-**(1) प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियो का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियो का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत किये जाने की आवश्यकता हो,तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये,लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा,ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति**

या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजो का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियो और दस्तावेजो को भेजेगा।

(2) उप धारा (1) के प्रावधानो के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में आवश्यक होने पर पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक,जालोर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति संपतियो, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना जालोर को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे। आदेश सुनाया गया।

सही/-

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर